न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 07/2023(GCMS 2023/286

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **अमृतपाल सिंह पुत्र कुलवन्त सिह कौम जटसिख निवासी ग्राम 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर**
2. **सक्षम प्रधाकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसील–** . जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड़ अधिकारी श्रीगंगानगर की नियुक्ति उपरान्त 1 वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 12 के बीघा नं. 2 व 3 से भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके बाद धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अवाप्त भूमि आत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर प्रार्थी भा.रा.रा.प्रा. में निहित हो गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस पर अ[illegible] संरचनाओं/परिसंपत्तियों यथा पेड़ पौधों आदि के मुआवजे का [illegible] अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नियम विरुद्ध जाकर अनैतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई सरंचना/परिसंपत्ति यथा पेड़ पौधों आदि स्थापित किये जाते है, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नही किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MoRTH, भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुपालना में जारी A Manual of Guidelines on Land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड, सरंचना/परिसंपत्ति इत्यादि का मुआवजा निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति के अनुसार किया जायेगा तथा धारा की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नही होगा। नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नही किया जा सकता। इसलिये धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित नये पेड़–पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 31.03.2021 को पारित कर दिया गया। इसी [illegible] अवाप्त भूमि के मुआवजे के अनुसार ही पेड़–पौधों के मुआवजे का निर्धारण भी धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार मौजूद पेड़–पौधों की आयु, प्रत्येक पौधे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

की उत्पादन क्षमता, स्थिति आदि मानकों से संबंधित ठोस साक्ष्य लेकर उनको ध्यान में रखते हुए किया जाना न्यायोचित व विधि अनुसार था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त के संबंध में कुछ भी नही किया गया, इसलिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़–पौधों का पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 22.04.2022 विधि अनुसार नही होने से अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में किन्नू एवं खजूर के पेड़–पौधों के संबंध में पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 22.04.2022 इसलिये भी निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्तधीन भूमि पर बाहर से लाकर नये पेड़–पौधें रोपित कर दिये गये। सहायक निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अप्रार्थी खातेदार की अवाप्त भूमि पर लगे हुए पेड–पौधों के अलावा भी ऐसे पेड़–पौधों को मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया, जो धारा 3ए अधिसूचना के पश्चात् लगाये गये थे तथा अवाप्ति क्षेत्र से बाहर स्थित थे, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र आदि के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3ए की अधिसूचना के तत्समय की गूगल अर्थ ईमेज के अनुसार लगभग 55 से 60 किन्नू व खजूर के पौधे ही अवाप्ति में आये है, लेकिन कमेटी सदस्यों ने मिलीभगत कर अवाप्ति से बाहर स्थित पौधों को भी अवाप्ति में बतलाकर 55 से 60 पौधों के स्थान पर 116 किन्नू व खजूर के पौधों की अनुचित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसकी मौकास्थिति अनुसार बिना जांच किये ही गंभीर त्रुटि कर आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य स्तरीय गठित कमेटी, जिसमें सहायक निदेशक उद्यान स्वयं भी सम्मिलित थी, ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि खजूर की फलत शुरू होने की आयु 4 वर्ष है एवं कुल फलत आयु शष्य क्रियाओं, परागण आदि को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक रूप से 40 से 50 वर्ष तक ही उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि इससे अधिक आयु के पौधों की ऊचाई 100 फिट से भी अधिक होने पर व्यवसायिक रूप से शष्य क्रियायें करना अव्यवसायिक हो जाता है तथा प्रति पौधा उत्पादन भी किस्म एवं उचित शष्य क्रियाओं के आधार पर प्रभावित होता है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत खजूर के पौधों की आयु 70 वर्ष मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है, जिसे सुधारे जाने की आवश्यकता है। अतः आलोच्य अवार्ड संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उद्यान विभाग के निर्देशानुसार किन्नू एवं खजूर के उचित विन्यास पर रोपित किये गये पौधों को ही बाग के अन्तर्गत सम्मिलित कर मुआवजा राशि की गणना किया जाना युक्ति संगत होगा अर्थात ऐसे पौधें जो उचित विन्यास पर नहीं है उनको बाग के अन्तर्गत नहीं माना जाकर मुआवजा निर्धारित नही किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड श्रीगंगानगर ने ऐसे पौधों जो उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार रोपित नहीं किये गये थे, उन पौधों का केवल आधार मूल्य को ही मुआवजा राशि के रूप में दिया जाना उचित माना है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर जांच करने आयी राज्य स्तरीय गठित कमेटी, जिसमें सहायक निदेशक उद्यान स्वयं भी सम्मिलित थी, ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि [illegible] किन्नू के पौधों के मध्य खजूर के पौधे रोपित किये गये है, जो तकनीकी [illegible] व्यवसायिक रूप से उपर्युक्त नही है तथा जो पौधें पास–पास में रोपित किये गये है उनसे शष्य क्रियायें करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

वाणिज्यक उत्पादन लिया जाना संभव नही है। अतः अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से उद्यान विभाग के मापदण्डों के विरूद्ध जानबूझकर रोपित पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नही कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 18.06.2021 की मौकास्थिति अनुसार समस्त पौधों में से 39 किन्नू के पौधों की आयु 5 वर्ष मानी जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जबकि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार प्रश्नगत किन्नू के 39 पौधे की आयु लगभग 2 वर्ष से कम होना साबित होती है। ऐसी दशा में अप्रार्थी खातेदार के 39 किन्नू के पौधों की आयु 2 वर्ष से कम होने के कारण आधार मूल्य के अन्तर्गत ही आते है, जिनका भी अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी खातेदार द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित 45 मीटर के संरेखण (Alignment) में धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अनुचित एवं अवैध तरीके से अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में नये किन्नू के बड़े पौधे/वृक्ष पास–पास में रोपित किये गये हैं, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की आयु व संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र, सिंचाई विभाग आदि से प्रश्नगत पौधों के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है, इस प्रकार अप्रार्थी खातेदार धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पौधों के [illegible] मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जांच किये धारा 3ए अधिसूचना के समय की मौकास्थिति के विरुद्ध तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उक्त 39 किन्नू के पौधों की सम्पूर्ण आयु के हिसाब से नियम विरूद्ध मुआवजा राशि की गणना कर दिनांक 22.04.2022 को आलोच्य अवार्ड पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसे सुधारा जाकर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने वर्ष 2022 में किन्नू के पौधों की कुल आयु 20 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, सहायक निदेशक, उद्यान– पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त श्रीगंगानगर द्वारा भाराराप्रा की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में किन्नू नुकसान के आधार पर 06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधे की मूल्यांकित राशि 14220/– निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवायी गयी थी, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने प्रश्नगत किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले व सूरतगढ़ की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार / उत्पादन एक समान है। अतः किन्नू के पौधों की मुआवजा राशि को घटाते हुए आलोच्य अवार्ड संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुआवजा राशि का निर्धारण में पौधों की उम्र व भाव करने में कोई स्पष्टता/पारदर्शिता नहीं है। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने मन मुताबिक पेड़–पौधों का बाजार भाव व उम्र नियम विरूद्ध तय किया है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा पेड़ पौधों के संबंध में सक्षम स्तर से आवश्यक जाँच करवाकर बाजार भाव, उम्र व रोपित करने के संबंध में समुचित साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] सभी पौधे समान उत्पादन नही देते है। प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता की जांच कर ही मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। अवाप्ति में आने वाले पौधों का भविष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में किसी प्रकार का उत्पादन, खर्च/लागत होने की कोई संभावना ही नही होती है, इसलिये अवाप्त पौधे का भविष्य के आधार पर कोई मुआवजा ही निर्धारित नही किया जाना चाहिए। अतः आलोच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है ।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य में फलदार पौधो की शेष आयु को आधार बनाकर लगभग 10 गुना अधिक राशि से मूल्यांकन किया जाता है, जो कि हस्तगत प्रकरण में भी कर दिया गया है। जबकि सीमावर्ती राज्यों में फलदार पौधों की शेष आयु एवं उक्त शेष आयु में होने वाली संभावित आय का एक चौथाई को ही बचत का आधार मानते हुये मूल्यांकन किया जाता है।

उनका आगे यह भी कथन कि भा.रा.रा.प्रा. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व लिखित बहस में वर्णित तथ्यो की रोशनी में सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित पेड़–पौधो का संरचना अवार्ड दिनां 22.04.2022 को अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त कर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 2 व 3 की भूमि आवाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नैशनल हाईवे एक्ट की धारा 3(ए) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को प्रकाशित की गयी थी जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 08.04.2018 को किया गया। 21 दिन की निहित अवधि में एतराज सुनकर दिनांक 31.03.2021 को भूमि का अवार्ड जारी किया । भूमि पर स्थित बाग के सम्बन्ध में वर्ष 2021 में सहायक निदेशक उद्यान विभाग, श्रीगंगानगर से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी ... कमेटी जिसमें सहायक निदेशक उधान, श्रीगंगानगर भी शामिल थी, से पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर अधिनियम की धारा 3(डी) के तहत फाईनल नोटिफिकेशन जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

गया, परन्तु सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भूमि तब तक भारत सरकार में निहित नहीं होती जब तक पोजेशन लेने से पहले मुआवजा राशि खातेदार के नाम से जमा न करवा दी जावे। उक्त मामले में आज तक राशि जमा नहीं करवायी। इसलिए विल्लंगमों से मुक्त भारत सरकार में भूमि नहीं मानी जा सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि पैटीशन से बाहर जाकर लिखित बहस के तथ्य पढे नहीं जा सकते और न ही स्वीकार किये जा सकते है। लिखित बहस में बढ़ाचढ़ाकर तथ्य दर्ज किये गये हैं जो काबिले खारिजी है। अप्रार्थी का बाग वर्ष 2010 से लगा हुआ है अर्थात धारा 3(ए) की अधिसूचना जारी होने से पूर्व का लगा हुआ है। अप्रार्थी द्वारा नियमविरूद्ध जाकर कोई पौधे स्थापित नहीं किये है। विस्तृत विवरण आगामी चरणों में दर्ज है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दस्तावेज पेश करने का कर्तव्य याचिकाकर्ता का था। याचिकाकर्ता द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जहां तक भूमि आवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) का हवाला दिया है यह प्रावधान इस पर लागू नहीं है। इसमें केवल एन एच की धारा 3ए ही लागू की गयी है उसके अनुसार ही खातेदार मुआवजा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आवाप्तशुदा भूमि पर नियमविरूद्ध जाकर भूमि अवाप्ति के पश्चात पौधे स्थापित नहीं किये गये हैं, जबकि अप्रार्थी ने अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक 02.04.2018 के पश्चात अधिनियम की धारा 3(ग)(2) के अन्तर्गत अपनी आपत्तियां नियत समय 21 दिन के भीतर दिनांक 26.04.2018 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश कर दी थी। अप्रार्थी द्वारा उक्त आपत्तियों के साथ राजस्व पटवारी पटवार म[illegible]शा (मौजूदा बाग) व खसरा गिरदावरी सम्वत 20[illegible]2.04.2018 को प्रस्तुत की थी जिसमें भी अ[illegible]र स्थित खजूर व किन्नू के बाग का स्पष्ट वर्णन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उधान विभाग द्वारा जो रिपोर्ट 2021 में दी है उस समय 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेड़ पोधों की आयु को ध्यान में रखते हुए मुआवजा का निर्धारण किया है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही मुआवजा तय किया गया है। दिनांक 22.04.2022 का अवार्ड विधिसम्मत पारित किया है। तीन गठित कमेटी सहायक निदेशक उधान गंगानगर, जयपुर विभाग द्वारा व संयुक्त निदेशक विभाग गंगानगर द्वारा मौका देखकर रिपोर्ट की गयी है। बहस में मिथ्या कथन दर्ज किये हैं, जो काबिल निरस्ती है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आवाप्तशुदा भूमि पर कोई नया पौधा नहीं लगाया गया है। प्रार्थी ने उक्त तथ्यों को साबित करने का अपना बर्डन (भार) अदालतवाला व अप्रार्थी पर डाला है जबकि उक्त तथ्य को याचिककर्ता को साबित करना है। याचिकाकर्ता अपना भार अप्रार्थी पर नहीं डाल सकता।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवाप्तशुदा भूमि पर अधिसूचना जारी होने के पश्चात कोई पौधे नहीं लगाये है। जो अप्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 3(ग)(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों, नक्शा मौजूदा बाग व गिरदावरी दिनांक 12.04.2018 से स्पष्ट है। अप्रार्थी द्वारा बाग में अन्य पोधे नहीं लगाये गये हैं न ही इससे अतिरिक्त पोधों की गणना की गयी है। प्रार्थी द्वारा खजूर व किन्नू का बाग एडमिट है लेकिन जो बाग लगा हुआ है वह गंगनहर के साथ चिपता है। नहर के उपर लम्बे लम्बे कीकर, शीशम, सफेदे के पोधे हैं जिसमें खजूर के तो पौधे लम्बे थे वे तो गूगल मैप में आ गये लेकिन किन्नू के पौधे नीचे थे वे नहर के पेड़ पौधों व खजूर के पौधों की ओट में गूगल मैप में कुछ पौधे नहीं आये लेकिन मौके पर अब भी जांच की जा सकती है। जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है उसमें बहस हो चुकी है प्रार्थी अपना बर्डन अदालतवाला या अप्रार्थी पर नहीं डाल सकता। यह प्रार्थी का कर्तव्य था कि यह साबित करे कि मौके पर बाग नहीं है यह साक्ष्य प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

देना था जो बहस पर दिया नहीं अब देने की स्टेज में नहीं है। इसलिए प्रार्थी की जो बहस है वह काबिले गौर नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सामान्यतः खजूर के पौधों की आयु 100 से 150 वर्ष तक मानी गयी है जो खजूर उत्पादक देशों, गूगल सर्च व अन्य सम्बन्धित लिटरेचर से स्पष्ट है। खजूर के पौधे से लगभग 100 वर्ष तक फलोत्पादन होता है। उधान विभाग की कमेटी द्वारा खजूर की औसत आयु 70 वर्ष मानकर रिपोर्ट तैयार की गयी है जो विधिसम्मत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी का बाग वर्ष 2010 से लगा हुआ है और वर्ष 2016 से पूर्ण फलोत्पादन हो रहा है। उस वक्त उक्त मुआवजा राशि बाबत कोई प्रावधान नहीं था और न ही उस वक्त भारतमाला प्रोजैक्ट का प्रस्ताव था। अप्रार्थी का उक्त बाग मार्च 2010 में उधान विभाग के अधिकारियों की रिक्वेस्ट पर राजस्थान में खजूर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चार बीघा (एक यूनिट) खजूर के पौधे लगवाये थे परन्तु उस वक्त इस क्षेत्र में खजूर के उत्पादन बाबत संशय होने के कारण अप्रार्थी ने उधान विभाग के अधिकारियों की राय से वर्ष 2010 में ही खजूर के पौधों के साथ किन्नू के पौधे लगाये थे परन्तु किन्नू के पौधों में मौसम व पानी की परिरिथितियां अनुकूल न होने के कारण क्षतिग्रस्त पौधों की जगह समय समय पर नये पौधे बदले गये थे। अप्रार्थी द्वारा खजूर व किन्नू के पौधे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही लगाये गये हैं। लिखित बहस में मिथ्या कथन दर्ज किये हैं जो काबिले खारिजी है। दिनांक 22.04.2022 का अवार्ड विधिसम्मत पारित किया है। पैटीशन काबिले खारिजी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि खजूर के पौधों की आयु 100 से 1 50 वर्ष तक मानी गयी है, जो खजूर उत्पादक देशों, गूगल सर्च व अन्य सम्बन्धित लिटरेचर से स्पष्ट है। खजूर के पौधे से लगभग 100 वर्ष तक फलोत्पादन होता है। उधान विभाग की कमेटी द्वारा खजूर की औसत आयु 70

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

वर्ष मानकर रिपोर्ट तैयार की गयी है जो विधिसम्मत है। अप्रार्थी का उक्त बाग मार्च 2010 में उधान विभाग के अधिकारियों की रिक्वेस्ट पर राजस्थान में खजूर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चार बीघा (एक यूनिट) खजूर के पौधे लगवाये थे परन्तु उस वक्त इस क्षेत्र में खजूर के उत्पादन बाबत संशय होने के कारण अप्रार्थी ने उधान विभाग के अधिकारियों की राय से वर्ष 2010 में ही खजूर के पौधों के साथ किन्नू के पौधे लगाये थे परन्तु किन्नू के पौधों में मौसम व पानी की परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण क्षतिग्रस्त पौधों की जगह समय समय पर नये पौधे बदले गये थे। आवेदन पत्र में जिस राज्य स्तरीय गठित कमेटी का हवाला दिया है, वह बिल्कुल निराधार है। आज भी गूगल मैप में देखा जा सकता है। उधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किन्नू के पौधों की आयु बाबत रिपोर्ट विधिसम्मत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीगंगानगर तहसील की भौगालिक स्थिति, वातावरण व कृषि पैदावार की तुलना हनुमानगढ, सूरतगढ या किसी अन्य राज्य करना विधिसम्त नहीं है। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। हनुमानगढ व सूरतगढ घग्घर नदी का क्षेत्र होने के कारण बागवानी के लिए उपयुक्त नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वर्तमान में भी अप्रार्थी का बाग मौजूद है,जिसकी जांच की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा केवल केस को लम्बा करने की नियत से यह लिखित बहस प्रस्तुत की जा रही है जबकि इससे पूर्व प्रार्थी ने अपनी पैटीशन में ऐसे कोई तथ्य अंकित नहीं किये थे। उस समय भी प्रार्थी के पास सारे दस्तावेज [illegible] राशि जमा नहीं करने के लिए यह सारी कार्यवाही [illegible] अधिकार है, जो काबिले खारिजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उधान विभाग की रिपोर्ट पौधों की औसत आयु व औसत उत्पादन लगाकर तैयार की गयी है, जो

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विधिसम्मत है। इसलिए लिखित बहस का जवाब पेश करके निवेदन है कि जो दिनांक 22.04.2022 को अवार्ड जारी किया गया है वह विधि अनुसार जारी किया गया है। प्रार्थी की याचिका मय खर्चा खारिज करवाकर आज तक का मय ब्याज राशि जमा करवाये जाने का आदेश प्रदान करें।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी अमृतपाल सिंह की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज के 00.000 कि.मी. से 34.5000 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी अमृतपाल सिंह की भूमि ग्राम 1 वाई के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2 व 3 से अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से कुल 5,96,71,411/– रूपये एवं मुआवजा राशि के समतुल्य की तोषण राशि 5,96,71,411/– को मिलाकर कुल 11,93,42,822/– का मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 22.04.2022 को 3ए नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के स्थिति के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.12.06 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

इस मामले में यह देखा जाना है कि अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो मुआवजा राशि 5,96,71,411/– रूपये एवं मुआवजा राशि के समतुल्य की तोषण राशि 5,96,71,411/– को मिलाकर

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कुल 11,93,42,822/– का मुआवजा राशि **तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?**

मैनें, अप्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि अप्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

> (7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--
>
> **(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;**
>
> (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;
>
> (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property in any manner, or his earnings;
>
> (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.042018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है। गाईडलाई का पेज 118 का पैरा **3.5.5(i) &** पेज नं. 120 का पैरा **3.5.6(ii)** भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :**
>
> (i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of the notification nder Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation, As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through photographs/videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii)

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/ Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid additional amount calculated @12% from the date of publication of Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. to illustrate another situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Gazette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

उक्त वर्णित **राजष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि/बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह भूमि/बाग आदि का अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।**

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी अमृतपाल सिंह की अवाप्त की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति क्या थी? पर विचार करके ही मुआवजा राशि तय की जानी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि/उस पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी अमृतपाल सिंह की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 22.06.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की है। उक्त मौका निरीक्षण को अवाप्त की गई भूमि में 5 वर्ष के 39, एक पौधा मृत, 10 वर्ष के 08 पौधें व 15 [illegible] 09 [illegible] हुए व खजूर के 60 पौधें बरही किस्म के लगे हुए, पाये [illegible] पटवारी, सहायक कृषि पर्यवेक्षक (उद्यान), श्रीगंगानगर, ऑफि[illegible] इंचार्ज–उद्यान विभाग एवं सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार कम मुआवजा राशि देय बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 22.06.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 39 किन्नू के पौधे 5 वर्ष, एक पौधा मृत, 08 किन्नू के पौधे 10 वर्ष, 09 किन्नू के पौधे 15 वर्ष एवं 60 खजूर के पौधे 2009–10 लगा होना बताया गया है, इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22.06.2021 में अंकित 39 किन्नू के पौधे 5 वर्ष, एक पौधा मृत, 08 किन्नू के पौधे 10 वर्ष, 09 किन्नू के पौधे 15 वर्ष एवं 60 खजूर के पौधे 2009–10 लगा होना बताया गया है, उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?, इस पर विचार करना उचित होगा।**

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22.06.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 22.06.2021 को 39 किन्नू के पौधे 5 वर्ष, एक पौधा मृत, 08 किन्नू के पौधे 10 वर्ष, 09 किन्नू के पौधे 15 वर्ष एवं 60 खजूर के पौधे 2009–10 लगा होना बताई गई है। उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध मे अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को यदि तर्क के लिए एक बार सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि 39 किन्नू के पौधे 5 वर्ष, एक पौधा मृत, 08 किन्नू के पौधे 10 वर्ष, 09 किन्नू के पौधे 15 वर्ष एवं 60 खजूर के पौधे 2009–10 लगा होना बताये गये है। **सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2021 की स्थिति के अनुसार जो Value of Structure-Horticulture राशि 5,96,71,411 /– एवं Value of Structure-Horticulture के समतुल्य ही 100 प्रतिशत तोषण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(Solatium) राशि 5,96,71,411/– को मिलाकर कुल राशि 11,93,42,822/– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा तय की गई है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है क्योंकि पत्रावली में **अप्रार्थी अमृतपाल सिंह की सम्पत्ति ग्राम 1 वाई के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नं. 2, 3 में भूमि पर सम्वत् 2067 से 2071 तक बाग होना प्रतीत नहीं होता है।** पत्रावली में उपलब्ध **सम्वत् 2067** में खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में सब्जी(0.126), किला नम्बर 3 में सब्जी(0.152) एवं रबी की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में गंदभ (0.253), किला नम्बर 3 में गंदभ(0.152), **सम्वत् 2068** में खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2/1 में बाग(0.126), 2/2 में नरमा(0.127), रबी की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में गंदभ(0.253), किला नम्बर 3 में गंदभ(0.152), **सम्वत् 2069** में खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में बाग(0.253), किला नम्बर 3 में बाग(0.152), रबी की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में गंदभ(0.253), किला नम्बर 3 में गंदभ(0.152), **सम्वत् 2070** की खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में ग्वार(0.253), किला नम्बर 3 में ग्वार(0.152), रबी की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में गंदभ (0.253), किला नम्बर 3 में गंदभ (0.152), **सम्वत् 2071** में खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में बाग (0.253), किला नम्बर 3 में (0.152), रबी की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में गंदभ(0.253), किला नम्बर 3 में गंदभ (0.152), **सम्वत् 2072** में खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2 में बाग (0.253), किला नम्बर 3 में बाग (0.152), **सम्वत् 2073** में खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2 व 3 में बाग (0.253) इसीप्रकार **सम्वत् 2074** की खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2 व 3 व बा[illegible] (0.[illegible]) अंकित है। **खरीफ की गिरदावरी प्रतिवर्ष 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर** [illegible] **रबी की गिरदावरी 1 फरवरी से 5 मार्च तक होती है। पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी के अनुसार सम्वत् 2071 (1 फरवरी 2015 से 05 मार्च 2015) में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2 व 3**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में बाग अस्तित्व में नहीं था। सम्वत् 2072 (21.03.2015 से 07.04.2016 तक) में किला नम्बर 2(0.253) व 3(0.152) में बाग अंकित है, इसी प्रकार सम्वत् 2073 व 2074 में किला नम्बर 2(0.253) व 3(0.253) में बाग अंकित है। इससे तात्पर्य है अप्रार्थी अमृतपाल सिंह की अवाप्त भूमि पर किला नम्बर 2 व 3 में सम्वत् 2072(21.03.2015 से 07.04.2016 तक) से पूर्व बाग अस्तित्व में नहीं था। जबकि उद्यान विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2021 में किन्नू के 39 पौधे 5 वर्ष के, 1 पौधा मृत, 08 पौधे 10 वर्ष के, 09 पौधें 15 वर्ष एवं खजूर के 60 पौधे वर्ष 2009—2010 (सम्वत् 2066—67) होना अंकित किया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध सम्वत् 2078 की गिरदावरी में ग्राम 1 वाई पटवार हल्का 3 वाई के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2(0.253) में ग्वार एवं किला नम्बर 3(0.152) में खजूर के पौधे होना अंकित किया है।

सहायक निदेशक उद्यान विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत पुस्तक **पौध लगाने का समय एवं विधि** "खजूर के पौधें वर्ष ऋतु (जुलाई—अगस्त) अथवा बसन्त ऋतु (फरवरी—मार्च) में लगाये जाते है। पौधे लगाने हेतु 1X1 X1 मीटर आकर के गड्डे खोद लेने चाहिए। प्रमुख रबी फसलों की उन्नत कृषि विधियाँ" के पृष्ठ संख्या 98 के अंकित किया गया है कि " पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 मीटर (278 पौधे/है.) या 8 मीटर (156 पौधे/है.) रखनी चाहिए।

इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध सम्वत् 2078 की गिरदावरी के अनुसार मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 3(0.152) में बाग होना दर्शाया गया है, जिसके अनुसार उक्त भूमि पर 40—70 खजूर के पौधे ही लगाये जा सकते है। जिससे स्पष्ट है कि **पत्रावली में उपलब्ध उद्यान विभाग की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2021 एवं पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी सम्वत् 2078 (13 अप्रैल 2021 से 01 अप्रैल 2022 तक) से मिलान नहीं होता है।**

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के [illegible] के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.20[illegible] को मौजूद पौधों की आयु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकतम 3 वर्ष बनती है। उद्यान विभाग द्वारा दिनांक 22.06.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किन्नू के पौधों की संख्या 57(39+01+08+09) एक बार के लिए मान भी लिया जाये तो **तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालतय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162–4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार – मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) – पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है** जो तीन वर्ष के किन्नू के पौधे का आधार मूल्य 1023/– रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि 3069/– रूपये बनता है। **इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को मौजूद पौधों की मुआवजा राशि 1,74,933/– रूपये ही बनती है एवं मुआवजा राशि के समतुल्य 100 प्रतिशत तोषण राशि 1,74,933/– है** इसप्रकार अप्रार्थी को किन्नू के पौधों हेतु दी जाने वाली कुल राशि 3,49,866/– बनती है। इसीप्रकार उधान विभाग की रिपोर्ट दिनांक 22.06. 2021 में अंकित खजूर के 60 पौधों को मान लिया जाये तो तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालतय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162–4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार – मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) – पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है, जो तीन वर्ष के खजूर के पौधे का आधार मूल्य 1899/– रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि 5697/–रूपये बनती है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को मौजूद खजूर के पौधों की मुआवजा राशि 3,41,820/– रूपये ही बनती है एवं मुआवजा राशि के समतुल्य 100 प्रतिशत तोषण राशि 3,41,820/– है इसप्रकार अप्रार्थी को खजूर के पौधों हेतु दी जाने वाली कुल राशि 6,83,640/– बनती है। इस प्रकार अप्रार्थी अमृतपाल सिंह को किन्नू एवं खजूर के पौधों हेतु देय राशि 10,33,506/– रूपये बनती है। जबकि सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 11,93,42,822/– (अखरे रूपये ग्यारह करोड़ तिरानवे लाख बियालीस हजार आठ सौ बाईस मात्र)(Value of Structure – Horticultue + Solatium at 100%) बनाई गई है जबकि भा.रा.रा.प्रा के प्रार्थना, पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी सम्वत् 2067 –2074 एवं गिरदावरी 2078 एवं अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर मुआवजा राशि 10,33,506/– रूपये बनती है। **इस प्रकार मुआवजा राशि में 11,83,09,316/– अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।**

इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी सम्वत् 2067–74 के अनुसार दिनांक 02.04.2018 को मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2(0.253) एवं किला नम्बर 3(0.253) में बाग अंकित है, किन्तु **गिरदावरी सम्वत् 2075 (18.03.2018 से 05.04.2019) में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2(0.253) में नरमा एवं किला नम्बर नं. 3 (0.152) में नरमा होना अंकित है एवं इसीप्रकार सम्वत् 2076 (दिनांक 06.04.2019 से 24.03.2020) को मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2 (0.253) में ग्वार एवं किला नम्बर 3(0.152) में गदम अंकित है।** गिरदावरी रजिस्टर एवं पत्रावली में सम्वत् 2077 की गिरदावरी उपलब्ध नहीं है, किन्तु सम्वत् 2078 की खरीफ की गिरदावरी में किला नम्बर 2(0.253) में ग्वार एवं किला नम्बर 3(0.152) में खजूर अंकित है। **सम्वत् 2075(18.03.2018 से 05.04.2019) एवं सम्वत् 2076(06.04.2019 से 24.03.2020) की गिरदावरी के अनुसार धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग होना प्रतीत नहीं होता है** किन्तु सम्वत् 2078 की गिरदावरी के अनुसार किला नम्बर 2(0.253) में ग्वार एवं किला नम्बर 3(0.152) में खजूर का बाग होना अंकित है, इससे प्रतीत होता है [illegible] ने सम्वत् 2076 अर्थात सर्वे दिनांक 22.06.2021 से पूर्व अपनी अवाप्त [illegible] भूमि पर खजूर के पौधें रोपित किये है। माननीय राजस्व म[illegible], अजमेर की अधिसूचना

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

6.10(6)राजस्व–6 /98/3 दिनाक 02.8.2000 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों को भी निरीक्षण करेगा। फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए माननीय मण्डल द्वारा निम्न प्रपत्र निर्धारित है, जिसमें फलदार वृक्षों का पूर्ण विवरण होता है:

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–1

फलदार वृक्षों की गिरदावरी वर्ष .....

गांव का नाम ..... गिरदावर वृत .....

तहसील ..... जिला.....

क्रम संख्या	खसरा संख्या	फल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
			कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(पटवारी द्वारा भरा जावे)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र 'अ'–1

विभिन्न फलों की प्राथमिक सूचना का ग्रामवार विवरण

पटवार मण्डल ..... भू.अ.नि.वृत ..... तहसील .....

जिला ..... वर्ष .....

क्र.सं.	गांव का नाम	फल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बगीचों की संख्या			वृक्षों की संख्या			बिखरें पेडों की संख्या			विशेष विवरण
				फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–3

फलदार वृक्षों की गिरदावरी की इकजाई सूचना तहसील ....

जिला श्रीगंगानगर संवत ...... वर्ष 2022–23 (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रम सख्या	नाम चक	ग्रामों की संख्या			खसरा संख्या			क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
		जिसमे फलदार वृक्ष है	जिसमे फलदार वृक्ष नही है	योग	जिसमें फलदार वृक्ष है।	जिसमं फलदार वृक्ष नहीं है।	योग	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17

फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए छोटे व बडों के लिए पूर्ण विवरण सहित उक्त निर्धारित प्रपत्र 1, अ–1 एवं 2 के अनुसार ग्राम 1 वाई के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2 व 3 में स्थिति क्या है?, धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि में बताये गये बाग के सम्बन्ध में लगे पौधों की आयु, नाम, संख्या, किस्म आदि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। **जबकि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार ही अगर कोई बाग में पौधे रोपित है तो उनकी आयु आदि के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त गिरदावरी सम्वत् 2067–71 में अप्रार्थी की अवाप्त भूमि पर कोई बाग अस्तित्व में नहीं था। गिरदावरी सम्वत् 2072–74 में अप्रार्थी की भूमि पर बाग अंकित है, किन्तु** अधिसूचना दिनांक **02.04.2018** की गिरदावरी सम्वत् **2075(18.03.2018** से **05.04.2019)** एवं **2076(06.04.2019** से **24.03.2020)** की स्थिति के अनुसार **अप्रार्थी अपनी भूमि पर कोई बाग अस्तित्व में नहीं था, इसलिए बाग के रूप में अप्रार्थी किसी प्रकार के मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं ठहरता है।**

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरी[illegible]21 को बाग के रूप में पौधे रोपित किये गये है, की आयु [illegible] किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों [illegible]चना दिनांक 02.04.2018 को कोई बाग था तो उस दिनांक 02.04.2018 को बाग के रूप में रोपित पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

थी जबकि **सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 22.06.2021 को आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 11,93,42,822/– अवार्ड के रूप में तय की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह राशि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि की भूमि की प्रकृति/प्रकार एवं फसल की किस्म के आधार पर नहीं है।** इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है।

अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से तय मुआवजा राशि, अप्रार्थी अमृतपाल सिंह की हद तक खारिज किया जाता है। **सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वे सम्वत् 2075 की** खरीफ की गिरदावरी का निरीक्षण करते समय, माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की अधिसूचना 6.10(6)राजस्व– 6/98/3 दिनाक 02.8.2000 के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों की गिरदावरी का भी निरीक्षण करें कि **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग अस्तित्व में था अथवा नहीं?, उक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण जांच करें और यदि दिनांक 02.04.2018 को बाग अस्तित्व में था तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु एवं दिनांक 02.04.2018 को ही बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर, पुनः सुनवाई कर,** दो माह में अवार्ड जारी करें। इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 14.11.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर